न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री मुन्ना कंवर **बनाम** नर्बदा कंवर वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट...न. 48 सन् 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.06.2017	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम बेंरा में पेंश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता शिविर में उपस्थित। विपक्षीगण वक्त केम्प अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम जसवन्तपुरा पटवार हल्का बेंरा भू0अ0निरीक्षक रायला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 107 के **आराजी सख्यां 97 रकबा 01–02 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में प्रार्थीया एंव विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीया द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात भुमि में प्रार्थीया एंव विपक्षी संख्या 05 का 1/2 हक हिस्सा एंव विपक्षी संख्या 01 का 1/22 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 2/22 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 का 1/22 हक हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 04 का 7/22 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। किन्तु विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात पर बिना संपरिवर्तन कराये व बिना विभाजन करा विधिवत कब्जा प्राप्त किये निमार्ण कार्य करने एंव प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है या आराजीयात पर अवैद्य रूप से जबरन निर्माण कार्य आदि कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी, वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी आराजीयात पर बिना संपरिवर्तन व विभाजन कराये निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीया के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम जसवन्तपुरा पटवार हल्का बेंरा भू0अ0निरीक्षक रायला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 107 के **आराजी सख्यां 97 रकबा 01–02 बीघा** में राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	